बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

संकल्प

पटना–15, दिनांक–

विषय :– बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों के कार्य निष्पादन मूल्यांकन प्रतिवेदन में अंकित अभ्युक्तियों के विरूद्ध प्रतिवेदित पदाधिकारी से प्राप्त अभ्यावेदन पर अंतिम निर्णय लेने हेतु रेफरल बोर्ड (Referral Board) के गठन के संबंध में।

बिहार प्रशासनिक सेवा संवर्ग के पदाधिकारियों के कार्य निष्पादन मूल्यांकन प्रतिवेदन (Performance Appraisal Report) के विरूद्ध कार्य निष्पादन मूल्यांकन प्रतिवेदन विशेष के संदर्भ में प्राप्त प्रतिवेदित पदाधिकारी के अभ्यावेदन पर, संबंधित प्रतिवेदक, समीक्षी एवं स्वीकरण प्राधिकारों के मंतव्य के आलोक में सम्यकरूप से विचारोपरांत अंतिम निर्णय लेने हेतु विभाग स्तर पर रेफरल बोर्ड (Referral Board) का गठन निम्नरूपेण किया जाता है :–

(i). अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार – अध्यक्ष

(ii). वरीय विशेष सचिव/अपर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार – सदस्य

(iii). वरीय प्रभारी पदाधिकारी, चारित्री कोषांग(बि0प्र0से0), सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार – सदस्य–सह–संयोजक

आदेश :– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र में प्रकाशित किया जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से
ह0/–
(भीम प्रसाद)
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापंक– सी0आर0को0–105/2017/सा0प्र0–........................./दिनांक–....................../2018

प्रतिलिपि :– महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापंक– सी0आर0को0–105/2017/सा0प्र0–16394/दिनांक–14.12./2018

प्रतिलिपि :– प्रधान सचिव, राज्यपाल सचिवालय/प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय/विका आयुक्त, बिहार/मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव/सभी अपर मुख्य सचिव/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रधा सचिव/सचिव, बिहार/पुलिस महानिदेशक, बिहार/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी, बिहार आई0टी0 मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

14/12/18
सरकार के संयुक्त सचिव।